सितंबर 2023 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 1 ₹135

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

मुख्य परीक्षा विशेष

100 अति संभावित विषय
जीएस पेपर I-IV

भाग-2

मॉडल प्रश्न व उत्तर सहित

अंतरविषयी एवं बहुविषयी प्रकृति के अनुरूप
मुद्दे आधारित अध्ययन सामग्री

विशेष आलेख

- **भारत में हरित वित्तपोषण पारितंत्र :** नीतिगत ढांचा, चुनौतियां तथा अनिवार्यताएं
- **भारत-फ्रांस संबंध :** दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग की रणनीति पर बढ़ते कदम
- **भारत में कृषक उत्पादक संगठन :** कृषि क्षेत्र में समृद्धि का आधार
- **खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग :** सतत आर्थिक संवृद्धि एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु आवश्यक
- **शहरी बाढ़ आपदा :** कारण एवं प्रबंधन के प्रयास
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 :** कानूनी उपायों का महत्व एवं चुनौतियां
- **भारत की खाद्य भंडारण क्षमता :** अनाज के बेहतर प्रबंधन हेतु एक वृहत् योजना की आवश्यकता

यूपीपीसीएस
मुख्य परीक्षा विशेष

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र 5 एवं 6

पत्रिका सार - जुलाई 2023 : योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति

सितंबर 2023
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

सितंबर 2023
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 1

इस अंक में

91 मुख्य परीक्षा विशेष
100 अति संभावित विषय
सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र I-IV

सामयिक आलेख

06 भारत में हरित वित्तपोषण पारितंत्र : नीतिगत ढांचा, चुनौतियां तथा अनिवार्यताएं

09 भारत में कृषक उत्पादक संगठन : कृषि क्षेत्र में समृद्धि का आधार

12 भारत-फ्रांस संबंध : दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग की रणनीति पर बढ़ते कदम

15 खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग : सतत आर्थिक संवृद्धि एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु आवश्यक

इन फोकस

18 शहरी बाढ़ आपदा : कारण एवं प्रबंधन के प्रयास

19 भारत की खाद्य भंडारण क्षमता : अनाज के बेहतर प्रबंधन हेतु एक वृहत् योजना की आवश्यकता

20 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2023 : कानूनी उपायों का महत्व एवं चुनौतियां

नियमित स्तंभ

83 पत्रिका सार : जुलाई 2023 योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति

158 यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा विशेष
मॉडल प्रश्न : जीएस पेपर 5 एवं 6

राष्ट्रीय परिदृश्य.....22-32

22 सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

23 जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023

23 खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2023

24 अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक, 2023

25 वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

26 ईडी प्रमुख का तीसरा कार्यकाल विस्तार 'अवैध': सुप्रीम कोर्ट

27 जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक

28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0

28 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना

29 सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCoS) का गठन

29 PM-STIAC की 23वीं बैठक

30 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र : भारत मंडलम

30 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023

31 सुप्रीम कोर्ट के 'वरिष्ठ अधिवक्ताओं' के पदनाम हेतु नए दिशानिर्देश

सामाजिक परिदृश्य.....33-37

33 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023

34 महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर रिपोर्ट

35 सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने हेतु बुनियादी ढांचा

35 नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए बाल तस्करी डेटा

36 नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान

36 खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट : खाद्य एवं कृषि संगठन

विरासत एवं संस्कृति 38-41

38 अल्लूरी सीताराम राजू

39 नवाब वाजिद अली शाह एवं उनका योगदान

39 संथाल विद्रोह एवं हूल दिवस

40 लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

40 धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस

41 टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने का प्रयास

आर्थिक परिदृश्य 42-50

42 बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2023

43 यूरिया गोल्ड

43 निर्यात तैयारी सूचकांक-2022
44 भारत 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर
45 पशुधन क्षेत्र में 'क्रेडिट गारंटी योजना'
45 भारतीय अर्थव्यवस्था तथा 'ट्विन बैलेंस शीट' की समस्या
46 बैंक लॉकर एग्रीमेंट
46 रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण हेतु विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें
47 प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम में बदलाव हेतु समिति
47 गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध
48 कर और वित्तीय अपराध जांच पर पायलट परियोजना
48 जियोकोडिंग
48 HDFC बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक
49 चुनावी बॉण्ड की बिक्री

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 51-62

51 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन
52 भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा
53 श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
53 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023
54 संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की 'द पाथ दैट एंड्स एड्स' रिपोर्ट
55 नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर रिपोर्ट
55 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट-2023
56 उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट
56 दारफुर क्षेत्र
56 यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल
57 भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ता तथा उत्पत्ति के नियम
58 अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) द्वारा गहरे समुद्र में खनन
58 विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट, 2023
59 भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका डिजिटल व्यापार पर चिंताएं
59 स्टेपल्ड वीजा विवाद
59 वैश्विक ऋण संकट रिपोर्ट
60 काला सागर अनाज समझौता बाधित
60 पवित्र पुस्तकों के अपमान के कृत्य की निंदा के पक्ष में भारत का मतदान

पर्यावरण एवं जैव विविधता 63-71

63 वैश्विक वन निगरानी
64 अमेजन वर्षा-वन की कटाई में कमी
64 चिंकारा हत्या के संबंध में राजस्थान के एक सत्र न्यायालय का आदेश
65 कूनो नेशनल पार्क एवं चीता
65 कैप्टिव-ब्रीड गिद्ध का प्राकृतिक पर्यावास में अनुकूलित होना
66 विश्व के अब तक के सर्वाधिक गर्म दिन
67 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक
68 हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का परीक्षण
69 कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना
69 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल
70 जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए एमओयू
70 ब्लू पैंसी : जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक तितली
71 एम्बरग्रीस एवं स्पर्म व्हेल

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 72-82

72 ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर 'डार्क पैटर्न'
73 भारत 6G एलायंस (B6GA) का शुभारंभ
73 राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
74 रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा
74 ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड की खोज
75 टाइम डाइलेशन प्रभाव की खोज
76 मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता के साक्ष्य
76 शुक्र ग्रह में फॉस्फीन गैस के साक्ष्य की पुष्टि
77 स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली 'सागर संपर्क'
77 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट और स्कॉर्पीन पनडुब्बियां
78 गैलियम और जर्मेनियम पर चीन का निर्यात नियंत्रण
78 चंद्रयान-3 मिशन
79 कुकुम्बर मोजेक वायरस तथा टोमेटो मोजेक वायरस
79 क्लस्टर बम
79 आलू की किस्म : एफएल 2027
80 सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर CERT-In के दिशा-निर्देश

लघु सूचिका 166-169

राज्यनामा.....170-172

खेल परिदृश्य.....173-175

वन लाइनर.....176-178

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

भारत में हरित वित्तपोषण पारितंत्र

नीतिगत ढांचा, चुनौतियां तथा अनिवार्यताएं

• संपादकीय डेस्क

हरित वित्तपोषण, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में धारणीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार द्वारा किये गए प्रयास, निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं बढ़ते प्रौद्योगिकी-अनुकूलन ने साथ मिलकर देश में हरित वित्त के विकास को तीव्र किया है। हरित वित्तपोषण को अपनाने से सतत विकास में वृद्धि, कार्बन पदचिह्न में कमी तथा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

विश्व में ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक के रूप में भारत को वर्ष 2070 तक अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेश तथा वित्तपोषण की आवश्यकता है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities) की हरित जमा (Green Deposits) की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की है।

- 1 जून, 2023 से प्रभावी यह रूपरेखा कहती है कि हरित जमा के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने, कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीनहाउस गैसों में कमी करने, जलवायु लचीलेपन तथा अनुकूलन को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता को संरक्षित करने वाली गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।
- भारत में हरित वित्तपोषण की आवश्यकता वर्ष 2030 तक वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कम से कम 2.5% होने का अनुमान है। साथ ही भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 5% वार्षिक की दर से कमी करने की आवश्यकता है।
- ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) के सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (Centre for Energy Finance) के एक अनुमान के अनुसार, इस हरित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हरित वित्तपोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हरित वित्तपोषण (Green Financing) क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) 'हरित वित्तपोषण' को सतत विकास के लिए निजी क्षेत्र, गैर-लाभकारी संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किये जाने वाले वित्त के प्रवाह के रूप में परिभाषित करता है। धारणीयता के साथ-साथ लाभप्रदता को भी सुनिश्चित करने वाली इस दीर्घकालिक दृष्टि के साथ, कॉरपोरेट, केंद्रीय बैंक तथा सरकारें तेजी से हरित वित्त नीतियां एवं रूपरेखा तैयार कर रही हैं।
- संयुक्त राष्ट्र 3 प्रमुख हरित वित्त रणनीतियों की पहचान करता है- 1. सार्वजनिक क्षेत्र की सहायता, 2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सहायता तथा 3. सूक्ष्म ऋण पर सामुदायिक उद्यमों के लिए क्षमता निर्माण।
- अनिवार्य रूप से, हरित वित्त उन वित्तीय निवेशों को संदर्भित करता है जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार के वित्तपोषण को जलवायु परिवर्तन को कम करने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में तेजी से पहचान मिल रही है।

हरित वित्तपोषण की आवश्यकता क्यों?

- **जलवायु परिवर्तन की तीव्रता में कमी :** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए निम्न-कार्बन उत्सर्जन एवं सतत अर्थव्यवस्था (Sustainable Economy) की ओर परिवर्तन आवश्यक है। हरित वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता उपायों तथा अन्य टिकाऊ प्रौद्योगिकियों की तैनाती को सक्षम बनाता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। वित्तीय संसाधनों को हरित परियोजनाओं की ओर पुनर्निर्देशित करके, हम विभिन्न क्षेत्रों के विकार्बनीकरण में तेजी ला सकते हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं।
- **सतत भविष्य की ओर संक्रमण :** हरित वित्तपोषण सभी क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं के विकास एवं कार्यान्वयन का समर्थन करता है। यह स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देता है। संसाधन-गहन तथा प्रदूषणकारी प्रथाओं से अधिक टिकाऊ एवं लचीले प्रणालियों की ओर बदलाव के लिए हरित वित्तपोषण आवश्यक है।
  - **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति :** हरित वित्तपोषण संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG's) के अनुरूप है। यह सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा (SDG-7), टिकाऊ शहर एवं समुदाय (SDG-11), जिम्मेदार उत्पादन एवं उपभोग (SDG-12), जलवायु कार्रवाई (SDG-13) तथा जैव विविधता संरक्षण (SDG-14&15) जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन करता है। एसडीजी में योगदान देने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण सभी के लिए अधिक न्यायसंगत एवं टिकाऊ भविष्य के निर्माण हेतु आवश्यक है।

भारत में कृषक उत्पादक संगठन

कृषि क्षेत्र में समृद्धि का आधार

• संपादकीय डेस्क

भारतीय कृषि क्षेत्र को गति देने में कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषक उत्पादक संगठनों के महत्व को देखते हुए सरकार, अनुकूल नीति निर्माण के माध्यम से इनके सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है। इन संगठनों की भूमिका किसानों की आय को दोगुना करने में भी सहायक मानी जा रही है। मौजूदा समय में ये कृषक उत्पादक संगठन भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के वाहक के रूप में उभर रहे हैं। इन संगठनों द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों को सतत कृषि की ओर संक्रमण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल 4,748 कृषक उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisations- FPOs) पंजीकृत हैं। वर्तमान समय में सरकार 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही इनसे संबद्ध किसानों को क्रेडिट गारंटी सुविधा और इक्विटी अनुदान भी प्रदान किये जा रहे हैं।

* किसान उत्पादक संगठन एक प्रकार का उत्पादक संगठन है, जिसके सभी सदस्य किसान होते हैं। इन्हें किसान उत्पादक कंपनियों (Farmers' Producer Companies- FPC) के रूप में भी जाना जाता है। ये संगठन प्राथमिक उत्पादकों यानी कृषकों द्वारा बनाई गई एक कानूनी इकाई होते हैं। एफपीओ आगतों की खरीद से लेकर बाजार संपर्क तक विभिन्न चरणों में किसानों की सहायता करते हैं। इनके द्वारा अपने सदस्य किसानों को उनकी कृषि उपज के प्रसंस्करण के साथ-साथ विपणन की सुविधा प्रदान की जाती है।
* भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग (Department of Agriculture and Cooperation) तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों को मान्यता दी जाती है। एफपीओ को किसानों को सशक्त एवं संगठित करने वाले संगठन के रूप में मान्यता दी गई है।
* भारतीय कृषि में लगभग 80% से 85% जोत लघु एवं सीमांत किसानों के हैं। व्यापक संख्या में खंडित जोतें (Fragmented Holdings) भारतीय कृषि की विशेषता है। अत्यधिक असंगठित होने के कारण किसान अपनी कृषि उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। किसानों की इन समस्याओं का समाधान किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उनके व्यवसाय को व्यवस्थित करके किया जा सकता है।

भारत में एफपीओ की वर्तमान स्थिति

* भारत में कई शोधकर्ताओं द्वारा एफपीओ पर विभिन्न अध्ययन किए गए हैं, जिन्होंने भारत में एफपीओ की कुल संख्या के बारे में अलग-अलग अनुमान दिए हैं। चूंकि एफपीओ को विभिन्न एजेंसियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए देश में सभी मौजूदा पंजीकृत एफपीओ के बारे में जानकारी का कोई एक एकीकृत स्रोत नहीं है।
* भारत में ज्यादातर एफपीओ, कंपनी अधिनियम (Companies Act) तथा सहकारी समिति अधिनियम (Co-operative Societies Act) के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा देश के कुछ एफपीओ धारा 8 की कंपनी या ट्रस्ट के रूप में पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी समिति (Mutually Aided Cooperative Society) के रूप में भी पंजीकृत हैं।
* यदि कोई एफपीओ धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत है तो वह अपने अर्जित आय को अपने सदस्यों के बीच वितरित करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए, अधिकांश एफपीओ या तो कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं।

एफपीओ की भूमिका एवं महत्व

* **किसानों को सशक्त बनाना:** एफपीओ किसानों को सामूहिक रूप से सशक्त करके सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों की भी उन संसाधनों, बाजारों और सेवाओं तक पहुंच संभव हो पाती है, जिन तक पहुंच प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल होता है।
* **बाजार पहुंच और उचित मूल्य प्राप्ति:** एफपीओ किसानों से उपज एकत्र करने का भी कार्य करते हैं। साथ ही इन एकत्र किए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका महत्वहीन हो जाती है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो पाता है तथा उनकी आय में सुधार हो पाता है।
* **मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण:** एफपीओ कृषि उपज के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हैं, जिससे किसान इस मूल्य शृंखला (Value Chain) का हिस्सा बन पाते हैं। मूल्यवर्धित उत्पादों की कीमत अधिक होती है, जिससे किसानों के लिए लाभप्रदता बढ़ती है।

भारत–फ्रांस संबंध

दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग की रणनीति पर बढ़ते कदम

• डॉ. अमरजीत भार्गव

भारत एवं फ्रांस अपने संप्रभु एवं रणनीतिक हितों के अनुरूप आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों देश लोकतंत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ बहुपक्षवाद तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का समर्थन करते हैं। पिछले 25 वर्षों में फ्रांस और भारत के मध्य विकसित विश्वास एवं एकजुटता वर्तमान दौर की कठिन वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन का सामना करने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति विस्तार को संतुलित करने तथा बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समान रूप से प्रयासरत हैं। इस संदर्भ में, भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगी।

13-14 जुलाई, 2023 के मध्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पेरिस में 'बैस्टिल दिवस समारोह' में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' (Grand Cross of the Legion of Honor) से सम्मानित किया गया।

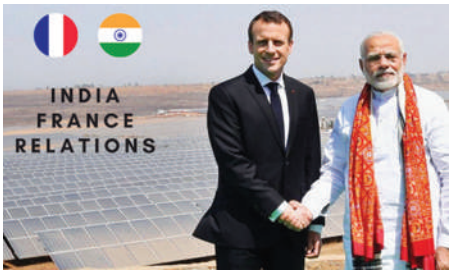

- भारत और फ्रांस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लंबे समय से रणनीतिक साझेदार देश हैं। वर्ष 1947 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना तथा वर्ष 1998 में आपसी साझेदारी को रणनीतिक स्तर तक उन्नत करने के बाद से दोनों देशों ने उच्च स्तर के आपसी विश्वास, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित सामान्य सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए सतत रूप से एक साथ कार्य किया है।
- भारत और फ्रांस अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के हित में एक साथ कार्य करने के इच्छुक हैं तथा हिंद-प्रशांत एवं अन्य विस्तारित क्षेत्रों में एक नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
- वर्ष 2023 में भारत एवं फ्रांस आपसी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे समय में दोनों देशों द्वारा आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने, कमियों का आत्मनिरीक्षण करने तथा बेहतर भविष्य की संकल्पना के निर्माण पर विचार करना चाहिए।

यात्रा के प्रमुख निष्कर्ष

- साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देश वर्ष 2047 (रणनीतिक साझीदारी के 50 वर्ष पूरे होने) तक द्विपक्षीय समझौतों की दिशा तय करने के लिए निम्नलिखित तीन स्तंभों के तहत एक विशिष्ट रोडमैप (Horizon 2047) अपनाने पर सहमत हुए हैं:

✓ **स्तंभ-1: सुरक्षा एवं संप्रभुता हेतु साझेदारी (Partnership for Security and Sovereignty)**

- **रक्षा:** भारतीय वायुसेना के लिये 36 राफेल जेट की समय पर डिलीवरी और P75 कार्यक्रम (6 स्कॉर्पीन पनडुब्बियों) की सफलता के बाद लड़ाकू जेट और पनडुब्बियों के संबंध में सहयोग जारी रखना।
- **अंतरिक्ष:** फ्रांस के फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज (CNES) और भारत के इसरो (ISRO) के बीच समझौतों के माध्यम से वैज्ञानिक और वाणिज्यिक साझेदारी (Scientific and Commercial Partnership) को बढ़ावा देने पर सहमति।
  - ➢ इसमें संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह-तृष्णा (Joint Earth Observation Satellite- TRISHNA) को अंतिम रूप देना, हिंद महासागर में समुद्री निगरानी उपग्रहों (Maritime Surveillance Satellites) के समूह के प्रथम चरण को आरंभ करना तथा कक्षा में टकराव के जोखिम के खिलाफ भारत-फ्रांसीसी उपग्रहों की सुरक्षा शामिल है।
- **परमाणु ऊर्जा:** महाराष्ट्र के जैतापुर में '6-ईपीआर पावर प्लांट परियोजना' पर प्रगति के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (Small Modular Reactors) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों (Advanced modular reactors) पर एक सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ।
- **हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific):** हिंद-प्रशांत में संयुक्त कार्रवाई के लिये एक रोडमैप को अपनाना, जिसमें इस क्षेत्र के लिये व्यापक रणनीति के सभी पहलुओं को शामिल किया गया हो। तृतीय विश्व के देशों के लिये भारत-फ्रांस विकास निधि (Indo-French Development Fund) को अंतिम रूप देने पर चर्चा, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सतत् विकास परियोजनाओं के संयुक्त वित्तपोषण को सक्षम किया जा सके।
- **आतंकवाद-निरोध (Counter-terrorism):** 'फ्रांस की राष्ट्रीय जेंडरमेरी' (National Gendarmerie of France: GIGN) और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के बीच सहयोग को मजबूत करना।
- **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी (Critical technology):** दोनों देशों ने सुपरकंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी (Cutting-Edge Digital Technology) पर सहयोग को मजबूत करने की वकालत की है। एटोस [Atos] (एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी) तथा भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मध्य सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति के लिए 920 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समझौते की घोषणा की गई है।

खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग

सतत आर्थिक संवृद्धि एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु आवश्यक

• नवीन चंदन

भारत महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का एक प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। भारत की जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति खनिज की खपत दोनों तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण खनिज संसाधनों पर मांग पूरा करने का दबाव बढ़ रहा है। खनिज संसाधन सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम संवृद्धि, स्थायित्व और क्षेत्रीय विकास के बीच साम्यता स्थापित कर सकते हैं।

हाल ही में केन्द्रीय खान मंत्रालय द्वारा भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची (List of Critical Minerals for India) का अनावरण किया गया। इसमें ऐसे खनिजों को शामिल किया गया है, जो उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं।

* यह सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक संरचना के रूप में काम करेगी। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का जारी होना खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा में वृद्धि करेगी।
* भारत एक विकासशील राष्ट्र है तथा देश की संवृद्धि एवं क्षेत्रीय विकास में संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से खनिज संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी खनिज संसाधन सीमित हैं, ऐसे में इनके सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।
* खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भारत के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था (Low Carbon Economy) में रूपान्तरित होने के लिए भी आवश्यक है। भारत में खनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि मानी जाती है तथा देश में 40 प्रमुख खनिजों के लिए 3527 खनन पट्टों के अंतर्गत लगभग 315,986 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

खनिज संसाधन और उनका महत्व

* खनिज संसाधन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना एवं विशिष्ट भौतिक गुण होते हैं। साधारण शब्दों में ये क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं और भौगोलिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप निर्मित होते हैं।
* खनिज संसाधन तीन प्रकार के होते हैं- धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन खनिज। इन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है जैसे सिलिकेट वर्ग, कार्बोनेट वर्ग, सल्फेट वर्ग इत्यादि।
* आर्थिक दृष्टि से खनिजों को कीमती और अर्द्ध कीमती खनिजों (हीरा, पन्ना, गार्नेट, सोना आदि), रणनीतिक खनिजों (कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, निकेल, रेयर अर्थ मेटल आदि), उर्वरक खनिजों (रॉक फास्फेट, पोटाश, सल्फर आदि), सिरेमिक खनिजों तथा औद्योगिक और लघु खनिज संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है।

✓ **खनिज संसाधनों के महत्व निम्नलिखित हैं-**

* हमारे शरीर से लेकर हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण खनिज संसाधनों से ही हुआ है। मनुष्य के प्रयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में खनिज संसाधनों का महत्व है।
* खनिज संसाधन में लौह अयस्क का महत्व कच्चा लोहा, स्टील और मिश्र धातु के निर्माण में है; साथ ही इसका महत्व सीमेंट उद्योग के लिए भी है।
* सिलिका जैसे खनिज संसाधनों का महत्व सिलिकॉन वेफर (silicon wafer) के निर्माण में है जिसका उपयोग इंटिग्रेटेड सर्किट (IC) और सौर फोटोवोल्टाइक सेल (Photovoltaic Cell) के निर्माण में किया जाता है।
* शुष्क बैट्रियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा उद्योग, माचिश उद्योग, इस्पात उद्योग में मैंगनीज जैसे खनिज संसाधनों का प्रयोग होता है। ये संसाधन किसी भी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं।
* भारत का अधिकांश विद्युत उत्पादन ताप विद्युत के जरिये किया जाता है, जो कोयला, लिग्नाइट, गैस एवं तेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर निर्भर है।
* भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में खनिज संसाधनों का इतना महत्व भारत के 8 कोर उद्योगों (Eight Core Industries) में दिखता है। विभिन्न खनिज संसाधन इसको आधार प्रदान करते हैं।
* परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम, मोनेजाइट, रेडियम जैसे खनिज संसाधनों का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में है। ये भारत के कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक हैं।

in फोकस

- शहरी बाढ़ आपदा : कारण एवं प्रबंधन के प्रयास
- भारत की खाद्य भंडारण क्षमता : अनाज के बेहतर प्रबंधन हेतु एक वृहत् योजना की आवश्यकता
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक–2023 : कानूनी उपायों का महत्व एवं चुनौतियां

शहरी बाढ़ आपदा
कारण एवं प्रबंधन के प्रयास

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राज्य सभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 से 2021 के मध्य भारत में बाढ़ और भारी बारिश से 17,422 लोगों की मृत्यु हुई।

- शहरी बाढ़ (Urban Flood) के लिए मुख्य रूप से छोटी अवधि की उच्च तीव्रता वाली वर्षा (High Intensity Rainfall of Short Duration) की बढ़ती घटनाएं जिम्मेदार हैं।
- इस कारण हाल के वर्षों में शहरी बाढ़ एक वार्षिक परिघटना बन गई है, जो मानसून की अवधि में भारत के कई महानगरों को प्रभावित कर रही है।
- इस वर्ष दिल्ली, गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में बाढ़ के कारण जनजीवन एवं आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। केंद्रीय जल आयोग के एक शोध के अनुसार, वर्ष 2012 से 2021 के बीच अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण 2,76,004.05 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

शहरी बाढ़ के कारण

- **जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन:** वैश्विक तापन के कारण वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे वातावरण में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। हिमालय क्षेत्र तीव्र संवहनशील बादलों के निर्माण के लिए अनुकूल है एवं जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में इस प्रकार के बादल निर्माण की घटनाएं बढ़ गई हैं। हिमालय क्षेत्र से उत्तर भारत की अधिकांश नदियां निकलती हैं तथा इनके जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है।
- **शहरी नियोजन:** नीति आयोग की 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' नामक रिपोर्ट के अनुसार, देश के 65% शहरों के पास शहरी बाढ़ से निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अव्यवस्थित रूप से शहरों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है, जो शहरी बाढ़ की समस्या को बढ़ा रहा है।
- **शहरी प्रशासन की उदासीनता:** भारत के बड़े शहरों में स्थित नगर निगम एवं छोड़े शहरों में स्थित नगरपालिकाएं अनधिकृत निर्माण की अनदेखी करती हैं। शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकासी मार्ग पर भवन निर्माण कर लिया जाता है, जिससे अत्यधिक वर्षा की स्थिति में निचले क्षेत्रों में जल की निकासी नहीं हो पाती और बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- **जल निकायों का अतिक्रमण:** आर्द्रभूमि, दलदल व झील जैसे जल निकाय तथा नदी के बाढ़ के मैदान वर्षा जल के प्राकृतिक सिंक के रूप में कार्य करते हैं और बाढ़ के खतरे से बचाते हैं। अनियोजित शहरीकरण के कारण इनका अतिक्रमण होता है। इसके अलावा निर्माण मलबे की अवैध डंपिंग और जल निकाय के आस-पास ठोस कचरे का निपटान जैसी समस्याएं भी विद्यमान है।
- **जलग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई:** नदियों और उनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की अनियंत्रित कटाई और वनस्पति का क्षरण देखा गया है। इससे नदियों एवं जल निकायों के कारण मिट्टी के कटाव की समस्या पैदा होती है और जल निकायों के तल में गाद जमा हो जाती है। नदियों में अपशिष्ट पदार्थ बहाए जाने से यह समस्या और भी बढ़ जाती है। इससे नदी की जल-वहन क्षमता कम हो जाती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **शहरी बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रिया:** आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी बाढ़ पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का निर्माण किया गया है। इसमें शहरी बाढ़ की शमन रणनीतियों, प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसियों, आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना सहित अन्य संबंधित उपायों की पहचान की गई है।
- **आधारभूत संरचना विकास:** भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया गया है जो शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास से संबंधित हैं।
  - इनमें अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना (हृदय) और स्मार्ट सिटी मिशन आदि प्रमुख हैं। भारत सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है।
- **शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश:** भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority - NDMA) ने शहरी बाढ़ आपदा पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
  - ये दिशा-निर्देश बेहतर बाढ़ आपदा प्रबंधन के माध्यम से बाढ़ लचीलेपन (Flood Resilience) में सुधार पर बल देते हैं।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना:** इस योजना का उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जन-जीवन की हानि को कम करना है। इस योजना में शहरी बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक विशेष खंड है। इस योजना के अंतर्गत शहरी बाढ़ को रोकने तथा प्रबंधन करने से संबंधित प्रावधानों की चर्चा है।

राजव्यवस्था

- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023
- खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2023
- अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक, 2023
- वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

न्यायपालिका

- ईडी प्रमुख का तीसरा कार्यकाल विस्तार 'अवैध': सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0

कार्यक्रम एवं पहल

- राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना

समिति एवं आयोग

- सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCoS) का गठन

संस्थान एवं निकाय

- PM-STIAC की 23वीं बैठक

संक्षिप्तिकी

- अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र : भारत मंडलम
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
- सुप्रीम कोर्ट के 'वरिष्ठ अधिवक्ताओं' के पदनाम हेतु नए दिशानिर्देश

न्यूज ब्रीफ्स

राजव्यवस्था

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

31 जुलाई, 2023 को सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 (Cinematograph (Amendment) Bill, 2023) को लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। राज्य सभा द्वारा यह विधेयक 27 जुलाई, 2023 को पारित किया गया था।

- यह विधेयक सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करता है। इस विधेयक का उद्देश्य 'पायरेसी' की समस्या पर व्यापक रूप से अंकुश लगाना है।
- इस विधेयक के द्वारा फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन की समस्या का समाधान प्रदान करने तथा इंटरनेट पर चोरी करके फिल्म की अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण से होने वाले पायरेसी के खतरे को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- **पायरेसी पर रोक लगाने हेतु प्रावधान:** किसी भी फिल्म की पायरेटेड कॉपी अथवा किसी भी अनधिकृत कॉपी को रखने और ऑनलाइन प्रसारण तथा प्रदर्शन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसमें सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
  - यह विधेयक पायरेसी के मामलों में न्यूनतम 3 माह की कैद तथा 3 लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान करता है, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष तक की कैद और ऑडिट की गई कुल लागत 5% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **आयु-आधारित प्रमाणीकरण:** मौजूदा यूए (UA) श्रेणी को तीन आयु-आधारित श्रेणियों में उप-विभाजित करके प्रमाणन (certification) की आयु-आधारित श्रेणियों की शुरुआत की गई है, अर्थात 12 वर्ष के बजाय अब 7 वर्ष (UA 7+), 13 वर्ष (UA 13+), और 16 वर्ष (UA 16+) की नई श्रेणियां शुरू की जाएंगी।
  - इस पहल का उद्देश्य माता-पिता अथवा अभिभावकों को यह विचार करने के लिए प्रेरित करना है कि क्या उनके बच्चों को ऐसी इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए।
- **उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप:** के.एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ (2000) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों का लोप किया गया है।
  - के. एम. शंकरप्पा मामले में न्यायलय ने कहा था कि केंद्र सरकार उन फिल्मों के संबंध में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जो पहले से ही सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित हैं।
- **प्रमाणपत्रों की सर्वकालिक वैधता:** मौजूदा कानून के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा जारी सर्टिफिकेट 10 साल के लिए वैध होता है। नये विधेयक में यह प्रावधान है कि प्रमाणपत्र हमेशा वैध रहेंगे।

सामाजिक परिदृश्य

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023

- महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता पर रिपोर्ट

सामाजिक न्याय

- सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी से निपटने हेतु बुनियादी ढांचा
- नीति और प्रोग्रामिंग को सूचित करने के लिए बाल तस्करी डेटा
- नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान

संक्षिप्तिकी

- खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति रिपोर्ट : खाद्य एवं कृषि संगठन

न्यूज ब्रीफ्स

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023

17 जुलाई, 2023 को नीति आयोग ने 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक : प्रगति समीक्षा 2023' (National Multidimensional Poverty Index : Progress Review 2023) रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं।

मुख्य बिंदु

- **आधार:** यह रिपोर्ट नवीनतम 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5' (NFHS) 2019-21 के आधार पर तैयार की गई है।
  - इसमें NHFS-4 (2015-16) और NHFS-5 (2019-21) के मध्य 'बहुआयामी गरीबी' को कम करने में भारत की प्रगति का विश्लेषण किया गया है।
- **दूसरा संस्करण:** यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) का दूसरा संस्करण है। MPI का पहला संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था।
- **आयाम एवं संकेतक:** यह सूचकांक एक साथ तीन आयामों में होने वाले अभावों को मापता है; ये तीन आयाम हैं-
  - स्वास्थ्य एवं पोषण (Health and Nutrition), शिक्षा (Education) और जीवन स्तर (Standard of Living)।
  - उपर्युक्त तीन आयामों को पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति और बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- **बहुआयामी गरीबी में कमी:** भारत में बहुआयामी गरीबी का सामना करने वाले लोगों की संख्या में व्यापक कमी हुई है और वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 की अवधि के मध्य लगभग 13.5 करोड़ लोग इससे बाहर हुए हैं।
  - इसी प्रकार, बहुआयामी गरीबी के तहत आने वाली जनसंख्या की प्रतिशत अंकों में लगभग 9.89% की गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2015-16 में इसके तहत लगभग 24.85% जनसंख्या शामिल थी जो घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96% हो गई है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में गरीबी में तीव्र गिरावट देखने को मिली है। ग्रामीण गरीबी दर वर्ष 2015-16 की 32.59% से वर्ष 2019-21 में 19.28% हो गई। इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर 8.65% से घटकर 5.27% हो गई।
- **राज्य स्तरीय प्रगति:** बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लोगों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। यहां लगभग 3.43 करोड़ (34.3 मिलियन) लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए।
  - बहुआयामी गरीबी मूल्य (MPI Value) के आधार पर सर्वाधिक गिरावट बिहार राज्य में हुई है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है।
- **SDG लक्ष्य:** वर्ष 2015-16 एवं 2019-21 के दौरान, MPI मूल्य 0.117 से गिरकर 0.066 हो गया है तथा गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है।
  - इससे प्रदर्शित होता है कि भारत वर्ष 2030 की निर्धारित समय-सीमा से पहले SDG (सतत विकास लक्ष्य) लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम-से-कम आधा करना) हासिल करने की राह पर है।
- **संकेतकों में सुधार:** बहुआयामी गरीबी को मापने के लिये उपयोग किये जाने वाले सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। उदाहरण-स्वच्छता में 21.8% तथा खाना पकाने के ईंधन में 14.6% का सुधार दर्ज किया गया है।

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व
- अल्लूरी सीताराम राजू
- नवाब वाजिद अली शाह एवं उनका योगदान

आंदोलन एवं विद्रोह
- संथाल विद्रोह एवं हूल दिवस

विरासत
- लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

उत्सव एवं आयोजन
- धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस

संक्षप्तिकी
- टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने का प्रयास

न्यूज बुलेट्स

व्यक्तित्व

अल्लूरी सीताराम राजू

4 जुलाई, 2023 को भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष उनकी जन्मतिथि को एक राज्य उत्सव के रूप में मनाती है। इस दिन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनके योगदान पर प्रकाश डाला जाता है।

अल्लूरी सीताराम राजू

- इनका जन्म 4 जुलाई, 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू एक संन्यासी और न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे।
- **महात्मा गांधी का प्रभाव:** अल्लूरी सीताराम राजू पर प्रारंभ में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव था। इसके कारण उन्होंने आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय पाने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया।
- **वंचितों के लिए संघर्ष:** उन्होंने पूर्वी घाट के आदिवासी इलाकों को अपना घर बनाया और आदिवासियों के लिए काम करने का फैसला किया, जो घोर गरीबी में जी रहे थे और पुलिस, वन और राजस्व अधिकारियों द्वारा 'मन्यम' (वन क्षेत्र) में लूटे जा रहे थे।
  - उन्होंने उनके बीच काम करना शुरू किया और अपनी व्यापक यात्राओं से प्राप्त विशाल ज्ञान का उपयोग करके उन्हें शिक्षा और चिकित्सा सहायता प्रदान करके उनकी मदद की।
- **आंदोलन:** हालांकि, इन कदमों ने उनकी पीड़ा को कम नहीं किया तथा उन्होंने गैर-कानूनी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगस्त 1922 में, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रम्पा विद्रोह शुरू किया।

रम्पा विद्रोह

- रम्पा विद्रोह (Rampa Rebellion) 1922 में प्रारंभ हुआ था, इसे मान्यम विद्रोह (Manyam Rebellion) के रूप में भी जाना जाता है।
  - यह एक आदिवासी विद्रोह था जो ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसीडेंसी की गोदावरी एजेंसी में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था।
- **मद्रास वन अधिनियम 1882 एवं विद्रोह:** रम्पा प्रशासनिक क्षेत्र लगभग 28,000 जनजातियों का घर था। अंग्रेज सरकार द्वारा मद्रास वन अधिनियम 1882 को लागू किया गया था, जिसने अपने स्वयं के जंगलों के भीतर आदिवासी समुदाय के मुक्त आवागमन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।
  - **कृषि प्रणाली पर प्रभाव:** इस कानून के कारण यह समुदाय पारंपरिक पोडु कृषि प्रणाली (Podu Agricultural System) को पूरी तरह से चलाने में असमर्थ हो गया था। अवगत करा दें कि पोडु कृषि प्रणाली के तहत स्थानांतरित खेती की जाती थी।
- **विद्रोह का विकास:** आदिवासी लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों और रेलवे लाइनों के निर्माण में बेगार के रूप में काम करने से इनकार कर दिया।
  - सीताराम राजू ने उनके लिए न्याय की मांग की तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया।
  - जनजातीय लोगों की अपनी सेना के साथ, उन्होंने कई पुलिस स्टेशनों पर हमले किए और छापे मारे, कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी तथा लड़ाई के लिए उनके हथियार और गोला-बारूद छीन लिए।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

- बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2023
- यूरिया गोल्ड

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- निर्यात तैयारी सूचकांक-2022
- भारत 2075 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर

कार्यक्रम एवं पहल

- पशुधन क्षेत्र में 'क्रेडिट गारंटी योजना'

मुद्रा एवं बैंकिंग

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा 'ट्विन बैलेंस शीट' की समस्या
- बैंक लॉकर एग्रीमेंट
- रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण हेतु विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें

वित्त क्षेत्र

- प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम में बदलाव हेतु समिति

संक्षिप्तिकी

- गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध
- कर और वित्तीय अपराध जांच पर पायलट परियोजना
- जियोकोडिंग
- HDFC बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक
- चुनावी बॉण्ड की बिक्री

न्यूज बुलेट्स

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2023

1 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा 'बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2023' [The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2023] पारित कर दिया गया। इसे 25 जुलाई, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

- संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात अब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात यह अधिनियम का रूप ले लेगा।

MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2023

मुख्य बिंदु

- इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों में गवर्नेंस को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही तय करना और चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार करना है।
- यह सहकारी समितियों के कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाकर उन्हें मजबूत करेगा। विधेयक में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंडों का निर्धारण किया गया है। इससे भाई-भतीजावाद की प्रथा को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
- वर्त्तमान में देश में लगभग 8.6 लाख सहकारी समितियां (Cooperative Societies) हैं, जिनमें से सक्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (Active Primary Agricultural Cooperative Societies) लगभग 63,000 हैं।
- सरकार के अनुसार, भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र की प्रगतिशील भूमिका के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

संशोधन विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान

- **सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (Cooperative Election Authority: CEA):** केंद्र सरकार 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' (MSCS) की चुनाव प्रक्रिया के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण हेतु 'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' की स्थापना करेगी।
- **सहकारी समितियों का एकीकरण (Integration of Cooperatives):** प्रस्तुत विधेयक 'राज्य सहकारी समितियों' को मौजूदा MSCS में विलय करने की अनुमति देता है।
  - इस संदर्भ में, एक आम बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सहकारी समिति के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों को इस तरह के विलय की अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा।
- **रुग्ण सहकारी समितियों के लिए निधि (Fund for Sick Co-operative Societies):** रुग्ण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार हेतु सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष (CRRDF) की शुरुआत की गई है। यह प्रावधान है कि ऐसे MSCS जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लाभ में हैं, वे कोष को वित्त पोषित करेंगे।
- **सरकारी शेयरधारिता के मोचन पर प्रतिबंध (Restrictions on Redemption of Government Shareholding):** MSCS में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धारित किसी भी शेयर को उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं भुनाया जा सकता है।
- **शिकायतों का निवारण (Redress of Grievances):** केंद्र MSCS के सदस्यों के संबंध में की गई शिकायतों की जांच करने और 3 महीने के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) में एक या अधिक सहकारी लोकपाल नियुक्त करेगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

बैठक एवं सम्मेलन
- 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

द्विपक्षीय संबंध
- भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा
- श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक-2023
- संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की 'द पाथ दैट एंड्स एड्स' रिपोर्ट
- नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर रिपोर्ट
- वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट-2023

मानचित्र के माध्यम से
- उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट
- दारफुर क्षेत्र

वैश्विक घटनाक्रम
- यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल

संधि एवं समझौते
- भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ता तथा उत्पत्ति के नियम

विविध
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) द्वारा गहरे समुद्र में खनन

संक्षिप्तिकी
- विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट, 2023
- भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका डिजिटल व्यापार पर चिंताएं
- स्टेपल्ड वीजा विवाद
- वैश्विक ऋण संकट रिपोर्ट
- काला सागर अनाज समझौता बाधित
- पवित्र पुस्तकों के अपमान के कृत्य की निंदा के पक्ष में भारत का मतदान

न्यूज बुलेट्स

बैठक एवं सम्मेलन

23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

4 जुलाई, 2023 को भारत की अध्यक्षता में 'शंघाई सहयोग संगठन' (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) के राष्ट्र प्रमुखों/शासन प्रमुखों की परिषद् के 23वें सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप में किया गया।

- इस सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध का कोई संदर्भ दिए बिना, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को 'रूसी विरोधी' राष्ट्र में बदलने और उसे हथियारों की आपूर्ति करने के लिए 'बाह्य शक्तियों' को दोषी ठहराया।

मुख्य बिंदु

- **सम्मेलन की थीम:** सम्मेलन को 'सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर (Towards a SECURE SCO)' नामक थीम के तहत आयोजित किया गया।
  - **SECURE का अर्थ:** सिक्योरिटी (Security), इकोनॉमिक डेवलपमेंट (Economic Development), कनेक्टिविटी (Connectivity), यूनिटी (Unity), सोवरेनिटी एवं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी (Sovereignty and Territorial Integrity), सम्मान (Respect) तथा एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन (Environmental Protection)।
- **अध्यक्षता:** भारत ने इस समूह की क्रमिक अध्यक्षता के नियम के अनुसार वर्ष 2023 में पहली बार SCO की अध्यक्षता की है।
- **नया सदस्य:** सम्मेलन में ईरान (9वें) को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं

- **नई दिल्ली घोषणा-पत्र:** इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए सदस्य राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 'आतंकवादी, अलगाववादी एवं चरमपंथी समूहों का मुकाबला करने तथा धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय एवं नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष, फासीवाद और अंधराष्ट्रवाद के विचार के प्रसार को रोकने' पर विशेष ध्यान देने की वकालत की।
- **संयुक्त वक्तव्य:** सम्मेलन में सदस्य देशों ने दो विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया- पहला, अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने हेतु सहयोग (Cooperation to counter radicalization promoting separatism, extremism and terrorism) तथा दूसरा, डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग (Cooperation in the field of digital transformation)।
- **सहयोग के नए स्तंभ:** भारत ने SCO में सहयोग के लिये पांच नए स्तंभों का निर्धारण किया है: स्टार्टअप और इनोवेशन (Startups and Innovation), पारंपरिक औषधि (Traditional Medicine), युवा सशक्तिकरण (Youth Empowerment), डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion) तथा साझा बौद्ध विरासत (Common Buddhist Heritage)।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जैव–विविधता
- वैश्विक वन निगरानी

वन्यजीव संरक्षण
- चिंकारा हत्या के संबंध में राजस्थान के एक सत्र न्यायालय का आदेश
- कूनो नेशनल पार्क एवं चीता
- कैप्टिव-ब्रीड गिद्ध का प्राकृतिक पर्यावास में अनुकूलित होना

जलवायु परिवर्तन
- विश्व के अब तक के सर्वाधिक गर्म दिन

बैठक एवं सम्मेलन
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक

नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत विकास
- हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का परीक्षण
- कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

संक्षिप्तिकी
- ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क
- जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए एमओयू
- ब्लू पैंसी : जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक तितली
- एम्बरग्रीस एवं स्पर्म व्हेल

न्यूज ब्रीफ्स

जैव–विविधता

वैश्विक वन निगरानी

हाल ही में, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (World Resources Institute - WRI) के द्वारा वैश्विक वन निगरानी (Global Forest Watch) नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष 2022 में वनावरण में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई।

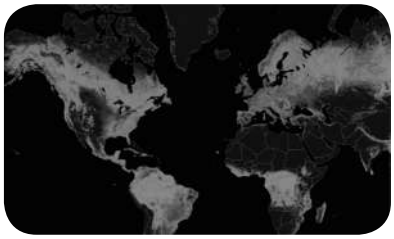

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **वनावरण की हानि:** उष्णकटिबंधीय (Tropical) क्षेत्रों में वर्ष 2022 में 4.1 मिलियन हेक्टेयर वनावरण (Forest Cover) नष्ट हुआ। यह प्रति मिनट 11 फुटबॉल मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर वन की हानि है।
- **कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन:** इस वन हानि से 2.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ, जो जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण भारत के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है।
- **वृक्षावरण में कमी:** पिछले दो दशकों में वृक्षावरण (Tree Cover) में 100 मिलियन हेक्टेयर का शुद्ध कमी हुई है। यह दर्शाता है कि वर्तमान वैश्विक प्रयास वनों की पुनर्बहाली के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

वैश्विक प्रगति की समीक्षा

- **वैश्विक वन प्रतिबद्धता:** अध्ययन में पाया गया है कि 2030 तक वैश्विक वन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है।
  - अध्ययन में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि 2018–2020 की तुलना में 2022 में वनों की कटाई की दर 3.1% कम हो गई है।
- **उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र:** ब्राजील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र वाले देशों में 2022 में वनों का अत्यधिक वन विनाश दर्ज किया गया है।
- **भारत विशिष्ट अवलोकन:** भारत ने 2021 और 2022 के बीच 43.9 हजार हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खो दिया है। यह इस अवधि में देश के कुल वृक्षावरण हानि का 17% है।
- **क्या किया जाना चाहिए? :** 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैश्विक वनों की कटाई को हर साल कम से कम 10% कम करने की आवश्यकता है।

वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI)

- इस संस्था को 1982 में स्थापित किया गया था, जो अनुसंधान-आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापन को बढ़ावा देता है। यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले कारकों को स्थिर करने और लचीले समुदायों के निर्माण में सहयोग करता है।
- इस संस्था ने विश्व के भोजन और ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के तरीके को मौलिक रूप से बदलाव का लक्ष्य रखा है ताकि सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इसके ब्राजील, चीन, कोलंबिया, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यालय हैं।

नवीन प्रौद्योगिकी

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर 'डार्क पैटर्न'
- भारत 6G एलायंस (B6GA) का शुभारंभ

स्वास्थ्य विज्ञान

- राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा

अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

- ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड की खोज
- टाइम डाइलेशन प्रभाव की खोज
- मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता के साक्ष्य
- शुक्र ग्रह में फॉस्फीन गैस के साक्ष्य की पुष्टि

कार्यक्रम एवं पहल

- स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली 'सागर संपर्क'

रक्षा प्रौद्योगिकी

- राफेल समुद्री लड़ाकू जेट और स्कॉर्पीन पनडुब्बियां

विविध

- गैलियम और जर्मेनियम पर चीन का निर्यात नियंत्रण

संक्षिप्तिकी

- चंद्रयान-3 मिशन
- कुकुम्बर मोजेक वायरस तथा टोमेटो मोजेक वायरस
- क्लस्टर बम
- आलू की किस्म : एफएल 2027
- सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर CERT-In के दिशा-निर्देश

न्यूज बुलेट्स

नवीन प्रौद्योगिकी

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर 'डार्क पैटर्न'

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को संबोधित एक पत्र के माध्यम से उन्हें 'उपभोक्ताओं की पसंद में हेरफेर करने' तथा 'उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन' हेतु अपने ऑनलाइन इंटरफेस में 'डार्क पैटर्न' के माध्यम से 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' में शामिल न होने की सख्ती से सलाह दी है।

- 'उपभोक्ता मामलों का विभाग' (Department of Consumer Affairs), भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत दो विभागों में से एक है।

मुख्य बिंदु

- ऑनलाइन इंटरफेस में 'डार्क पैटर्न का उपयोग करने' तथा इस तरह के 'भ्रामक और छलपूर्ण आचरण में संलग्न होने' से उपभोक्ताओं के हितों का अनुचित रूप से दोहन होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत इसे 'अनुचित व्यापार प्रथा' (Unfair Trade Practice) माना जाता है।
- भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से अपने प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन इंटरफेस में ऐसे किसी भी डिजाइन या पैटर्न को शामिल न करने का आग्रह किया है, जो उपभोक्ता की पसंद को धोखा दे सकता हो या उसमें हेरफेर कर सकता हो तथा डार्क पैटर्न की श्रेणी में आ सकता हो।

डार्क पैटर्न के संदर्भ में

- **अर्थ:** डार्क पैटर्न में उपभोक्ताओं को उनके सर्वोत्तम हित में विकल्प न चुनने के लिए बरगलाने, विवश करने या प्रभावित करने के लिए डिजाइन और पसंद आर्किटेक्चर (Design and Choice Architecture) का उपयोग करना शामिल है।
- **डार्क पैटर्न के महत्वपूर्ण उदाहरण**
  - **कृत्रिम तात्कालिकता (Artificial Immediacy):** यह युक्ति उपभोक्ताओं पर खरीददारी करने या कोई कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने की तात्कालिकता की भावना पैदा करती है।
  - **बास्केट स्नीकिंग (Basket Sneaking):** इसके तहत वेबसाइट या ऐप्स उपयोगकर्ता की सहमति के बिना शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद या सेवाएं जोड़ देते हैं।
  - **सब्सक्रिप्शन ट्रैप (Subscription Trap):** यह युक्ति उपभोक्ताओं के लिए किसी सेवा के उपयोग हेतु साइन-अप करना आसान बनाती है; किंतु उनके लिए इसे रद्द करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर रद्द करने के विकल्प को छिपा लिया जाता है अथवा रद्द करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है।
  - **कंफर्म-शेमिंग (Confirmshaming):** यह उपयोगकर्ताओं के निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए अपराधबोध या शर्म जैसी असहजतापूर्ण भावनाओं को ट्रिगर करके काम करता है। इसके तहत किसी विशेष मत या दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं होने के लिए उपभोक्ताओं की आलोचना या उन पर आक्षेप लगाया जाता है।
  - **जबरन कार्रवाई (Coercive Action):** इसमें उपभोक्ताओं को ऐसी कार्रवाई करने के लिए विवश करना शामिल है, जो वे नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंटेंट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी अन्य सेवा के लिए साइन अप करना।

पत्रिका सार

योजना (जुलाई 2023)

- भारत में सहकारी समितियों का सशक्तीकरण
- कृषि ऋण सहकारी समितियां : डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्तीकरण
- कृषि एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी
- कृषि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन

कुरुक्षेत्र (जुलाई 2023)

- जलवायु अनुकूल कृषि हेतु रणनीतियाँ एवं पहल
- सतत कृषि : मुद्दे तथा सहायक कृषि पद्धतियां
- भारतीय कृषि की बदलती प्रवृत्ति
- भारत में सतत कृषि विकास हेतु नवाचार

विज्ञान प्रगति (जुलाई 2023)

- जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री तूफान
- भारतीय मानसून : उत्पत्ति, प्रसार एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

यह खंड जुलाई 2023 अंक की योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति पत्रिका पर आधारित है। इसके अंतर्गत हमने इन पत्रिकाओं का केवल सार-सारांश (Gist) प्रस्तुत करने के बजाय परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण के साथ यथोचित अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों को समाहित करते हुए अध्ययन सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया है। यह अध्ययन सामग्री मुख्य परीक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक परीक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण है।

योजना (जुलाई 2023)

भारत में सहकारी समितियों का सशक्तीकरण

हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के गठन को मंजूरी दी गई।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फसलों के नुकसान को कम करने के साथ-साथ फसलों की खरीद-बिक्री का विकेंद्रित तंत्र स्थापित करना है।
- वर्तमान में देश में 8.54 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनकी सदस्य संख्या 29 करोड़ है। इनमें से 80 प्रतिशत गैर-ऋण सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में सहायक हैं तथा ये किसानों की आय बढ़ाने एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं।

सहकारिता की अवधारणा

- सहकारिता के अंतर्गत सात स्वर्णिम सिद्धांतों का पालन किया जाता, जो निम्नलिखत हैं-
  1. **स्वैच्छिक और खुली सदस्यता:** स्वैच्छिक सदस्यता और बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए खुली होती है।
  2. **सदस्यों की आर्थिक भागीदारी:** आर्थिक गतिविधियों के लिए सदस्य पूंजी में समान रूप से योगदान देते हैं और उसका नियंत्रण तथा उपयोग करते हैं।
  3. **स्वायत्तता और स्वतंत्रता:** सहकारी समितियां स्वायत्त व्यापारिक संगठन है, जो लोकतांत्रिक नियंत्रण के साथ स्वयं सहायता में विश्वास करती हैं।
  4. **शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना:** सहकारी समितियों के सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मियों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रावधान करते हैं।
  5. **समुदाय के लिए सरोकार:** उचित नीतिगत उपायों को अपनाकर और सामुदायिक विकास के मुद्दों का समाधान करके सतत विकास सुनिश्चित किया जाता है।
  6. **सहकारी समितियों के बीच सहयोग:** सदस्यों द्वारा एक साथ काम करके सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया जाता है।
  7. **सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण:** सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस तरह ये सदस्य-संचालित और सदस्य-नियंत्रित लोकतांत्रिक इकाइयां होती हैं।

सहकारी समितियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत

- **वित्तीय सुरक्षा:** सहकारी आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इस समय देश में लगभग 29 करोड़ लोग सीधे देश के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सहकारी समितियां रोजगार के अवसर जुटाने के साथ ही समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा भी उपलब्ध कराती हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण:** सहकारी समितियां सामाजिक-आर्थिक नीति और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इनमें गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर जुटाने की विशेषताएं निहित हैं।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** किसानों की समृद्धि और स्थायी खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पाने के लिए भारत को सहकारी समितियों को बढ़ावा देना होगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें क्रांतिकारी और आमूलचूल बदलाव लाने तथा अन्न के उत्पादन, आपूर्ति एवं खपत तक की पूरी खाद्य शृंखला में हर कदम पर नवाचार लागू करने की जरूरत होगी।
- **संसाधनों का बेहतर उपयोग:** सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों द्वारा प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों को पूल किया जा सकेगा, जिससे इनका कुशलता से उपयोग के साथ ही संरक्षण को भी संभव बनाया जा सकेगा। जमीन, पानी और पशुओं के कुशल प्रबंधन से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इनकी बर्बादी नहीं हो और कृषि आदानों का युक्ति-युक्त उपयोग हो।

मुख्य परीक्षा विशेष

100 अति संभावित विषय

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र I-IV

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न–पत्रों का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयोग द्वारा पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न अभी भी कहीं न कहीं पिछले 1–2 वर्षों की पृष्ठभूमि से ही संबंधित होते हैं, साथ ही ज्यादातर प्रश्न विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक उत्तर की मांग करते हैं। इसे ध्यान में रखकर ही हम यहां आगामी मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण 100 विषय–वस्तुओं पर अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अध्ययन सामग्री UPSC द्वारा पूछे जाने वाले मुद्दे–आधारित, ओपन–एंडेड और अंतर–विषयक प्रकृति के प्रश्नों की मांग के अनुरूप है। इसे विकसित करते समय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों के पैटर्न को ध्यान में रखा गया है। मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण विषयों (Topics) की यह दूसरी कड़ी है; पत्रिका के पिछले (अगस्त 2023) अंक में हमने सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण विषयों की पहली कड़ी प्रकाशित की थी। आशा है कि ये महत्वपूर्ण विषय अभ्यर्थियों के लिए आगामी मुख्य परीक्षा में लाभकारी होंगे तथा परिवर्तित प्रश्न पैटर्न के अनुरूप उन्हें आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायक होंगे।

भारतीय इतिहास और संस्कृति (जीएस पेपर-1)

1. भारत में सिक्का निर्माण प्रणाली का विकास 93
2. भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत 93
3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों की भूमिका 94
4. ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतें 94
5. भारतीय पुनर्जागरण : कारण और महत्व 95
6. ब्रिटिश शासन में गिरमिटिया मजदूर 95
7. भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन 96
8. मुगलों की प्रशासनिक नीतियां: विशेषताएं और मुद्दे 96

भूगोल (जीएस पेपर-1)

9. भूमि निम्नीकरण : कारण एवं प्रभाव 97
10. भू-धंसाव एवं इसके कारण 98
11. भारत में बड़े बांध : मुद्दे एवं बांध सुरक्षा हेतु कदम 98
12. गहरे महासागर में अन्वेषण : महत्व और प्रमुख पहल 99

भारतीय समाज (जीएस पेपर-1)

13. समान नागरिक संहिता : आवश्यकता एवं व्यवहार्यता 99
14. धर्मांतरण एवं भारतीय समाज 101
15. बलात् विस्थापन : कारण एवं समाधान 101
16. आधुनिक भारतीय समाज की परिवर्तनशील गत्यात्मकता ... 102
17. शहरीकरण एवं महिलाएं 102

संविधान एवं राजव्यवस्था (जीएस पेपर-2)

18. सिविल सेवा क्षमता निर्माण 103
19. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां 104
20. आधारभूत ढांचे का सिद्धांत 105
21. आदर्श आचार संहिता : महत्व एवं चुनौतियां 105
22. विशेष न्यायालय : आवश्यकता एवं प्रासंगिकता 106
23. भारत में न्यायेतर हत्याएं : मुद्दे एवं उपाय 106
24. भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली 107

25. न्यायिक बहुसंख्यकवाद एवं इससे संबंधित मुद्दे..... 108
26. भारत में स्थानीय स्वशासन..... 108
27. संविधान की 9वीं अनुसूची: न्यायिक समीक्षा से संरक्षण... 109

अंतरराष्ट्रीय संबंध (जीएस पेपर-2)

28. रूस-यूक्रेन युद्ध : कारण, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की राह... 110
29. भारत-रूस संबंध : चुनौतियां एवं महत्व..... 111
30. बिम्सटेक एवं भारत..... 112
31. क्वाड समूह : महत्व एवं चुनौतियां..... 112
32. परमाणु अप्रसार संधि एवं भारत..... 113
33. नाटो : प्रमुख चुनौतियां तथा भारत का दृष्टिकोण..... 113
34. भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग..... 114
35. समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) तथा भारत... 114

सामाजिक मुद्दे एवं न्याय (जीएस पेपर-2)

36. भारत में बाल यौन अपराध : संबंधित मुद्दे तथा उपाय..... 115
37. अपरिपक्व जन्म : वर्तमान स्थिति एवं प्रयास..... 116
38. भारत में ट्रांसजेंडर अधिकार..... 116
39. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह..... 117
40. भारत में बाल कुपोषण..... 118
41. भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल..... 118
42. शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस..... 119
43. भारत में मूलभूत साक्षरता..... 119
44. भारत में लैंगिक असमानता..... 120
45. शहरी गरीबी : उपशमन की आवश्यकता..... 121

भारतीय अर्थव्यवस्था (जीएस पेपर-3)

46. कृषि निर्यात को बढ़ावा : भारत के समक्ष चुनौतियां..... 122
47. कृषि विपणन: मुद्दे एवं चुनौतियां..... 122
48. भारतीय मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण..... 123
49. भारत का खिलौना उद्योग क्षेत्र 124
50. भारत का डेयरी क्षेत्र..... 124
51. भारत में ई-कॉमर्स और एमएसएमई..... 125
52. भारत में कपास की कृषि : चुनौतियां एवं अवसर..... 126
53. भारत में खाद्य भण्डारण की चुनौतियां..... 126
54. रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण..... 127
55. भारत में तम्बाकू की कृषि..... 127
56. भारत में व्यापक स्तर पर दवा का निर्माण..... 128
57. भारत में नवाचार : चुनौतियां एवं अवसर..... 129
58. भारत में बीमा क्षेत्र: चुनौतियां एवं अवसर..... 129
59. भारतीय जहाजरानी उद्योग..... 130
60. भारतीय डिस्कॉम : चुनौतियां और सुझाव..... 130
61. महत्वपूर्ण खनिज : भारत के लिए महत्व एवं चुनौतियां... 131
62. धारणीय पर्यटन..... 132
63. वि-वैश्वीकरण और भारत : कारक और प्रभाव..... 132
64. शहरी सहकारी बैंक : महत्व और चुनौतियां..... 133

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जीएस पेपर-3)

65. इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भारत..... 134
66. डार्कनेट : चिंताएं और उपाय..... 134
67. सोडियम-आयन बैटरी : महत्व और मुद्दे..... 135
68. भारत में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां..... 136
69. सतत विकास लक्ष्य एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी..... 136
70. भारत-लीगो (LIGO) परियोजना: महत्व और चुनौतियां.... 137
71. फेशियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी: लाभ एवं चिंताएं..... 138

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (जीएस पेपर -3)

72. आक्रामक प्रजातियां : संबंधित मुद्दे एवं आवश्यक प्रयास.. 139
73. कार्बन असमानता : प्रभाव एवं समाधान 139
74. जल संकट..... 140
75. जलवायु परिवर्तन में कृषि की भूमिका..... 141
76. जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव..... 141
77. मानव पूंजी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव..... 142
78. भारत में जैविक कृषि: स्थिति एवं सरकार के प्रयास..... 142
79. भारत में प्लास्टिक प्रदूषण..... 143
80. भारत में वाहन स्क्रैपेज..... 144
81. भारत में सतत रेत खनन..... 144
82. शहरी कृषि : आवश्यकता एवं लाभ 145
83. पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरों का निर्माण..... 146
84. संपीडित बायोगैस (CBG): ऊर्जा सुरक्षा हेतु आवश्यक..... 147
85. सर्कुलर इकोनॉमी एवं भारत : चुनौतियां एवं अवसर..... 147
86. भारत में पर्यावरणीय लेखांकन..... 148

आपदा प्रबंधन (जीएस पेपर-3)

87. भारत में वनाग्नि..... 149
88. भारत : भूस्खलन सुभेद्यता..... 150
89. भारत में हीट वेव..... 150
90. सांस्कृतिक विरासत हेतु आपदा जोखिम प्रबंधन..... 151

राष्ट्रीय सुरक्षा (जीएस पेपर-3)

91. अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद: कारण, पहल और चुनौतियां..... 151
92. भारत में नशीली दवाओं का खतरा..... 153
93. भारत में वामपंथी उग्रवाद..... 153

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि (जीएस पेपर-4)

94. न्यायसंगत एवं प्रभावी कार्य संस्कृति की नैतिकता..... 154
95. प्रभावी अनुनय के निर्धारक..... 155
96. सिविल सेवकों हेतु नैतिक संहिता..... 155
97. लोक सेवा हेतु महत्वपूर्ण मूल्य..... 155
98. समानुभूति एवं इसका महत्व..... 156
99. ऑनलाइन गेमिंग : नैतिक चिंताएं..... 157
100. सशस्त्र संघर्ष अथवा युद्ध : नैतिकता एवं नागरिक अधिकार..... 157

भारतीय इतिहास और संस्कृति (जीएस पेपर-1)

भारत में सिक्का निर्माण प्रणाली का विकास

भारत में सिक्कों के निर्माण करने वाले विश्व के प्रथम देशों में से एक है। यहां विभिन्न कालखंड में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का निर्माण किया गया, जो ढलाई के तरीकों, विषयों, आकृतियों, धातुओं आदि में अत्यधिक विविधता से परिपूर्ण है।

- प्रागैतिहासिक काल से लेकर कांस्य युग तक सिक्कों की जगह मुख्य रूप से वस्तु विनिमय तथा कौड़ियों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। वैदिक युग में निष्क एवं सतमान का उल्लेख मिलता है, परन्तु इसके सिक्के के रूप में उपयोग होने पर विवाद है। भारत में सिक्कों के उपयोग का निश्चित प्रमाण ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी में जनपदों के दौरान मिलता है।

प्राचीन भारत में सिक्का निर्माण प्रणाली

- भारत में सिक्कों के निर्माण के पारंपरा की शुरुआत पंच-मार्क सिक्कों या आहत सिक्कों से माना जा सकता है। इन प्रकार के सिक्कों का निर्माण चांदी और तांबे से किया जाता था और इनका निर्माण पंच या ठप्पा लगाकर किया जाता था। ये आकार में गोल, आयताकार या चौकोर होते थे।
- मौर्य साम्राज्य के विभिन्न शासकों ने व्यापक पैमाने पर पंच-मार्क सिक्कों का निर्माण किया था। इनके द्वारा सिक्कों के निर्माण से संबंधित लक्षणाधिक्षक नामक एक अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है, जो सिक्कों के निर्माण से संबंधित गुणवत्ता का परीक्षण करता था।
- दूसरी/पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इंडो-ग्रीक सिक्कों द्वारा सिक्कों की ढलाई एवं निर्माण अधिक परिष्कृत तरीके से की गई थी। इंडो-ग्रीक शासकों के सिक्के मुख्य रूप से आकार में गोल होते थे तथा इनके द्वारा कुछ आयताकार का भी निर्माण किया गया। इन पर शासक के नाम खरोष्ठी लिपि में अंकित होते थे।
- कुषाण राजवंश द्वारा निर्मित सोने के सिक्कों पर शिव और कार्तिकेय आदि देवताओं को चित्रित किया गया था। गुप्तों के सिक्के धातुओं को अच्छी तरह से ढाल कर बनाए जाते थे। इनके स्वर्ण सिक्के दीनार के नाम से जाने जाते थे तथा इन पर गुप्त शासकों का भी अंकन किया जाता था।

मध्यकालीन भारत में सिक्का निर्माण प्रणाली

- दिल्ली सल्तनत काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ तथा इसके कारण टंका (चांदी के सिक्के) और जीतल (तांबे के सिक्के) जैसे सिक्कों के उत्पादन में विस्तार हुआ। खिलजी राजवंश द्वारा पारंपरिक सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के साथ ही शासकों की महान उपाधियों को दर्शाने वाले बिलोन सिक्के (billon coins) भी जारी किए गए थे।
- दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की। इनके द्वारा पीतल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे, जिनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होता था। विजयनगर साम्राज्य द्वारा भगवान तिरूपति की पवित्र छवियों वाले सोने के सिक्कों को जारी किया गया था। इस समय तक सिक्कों के रूपांकनों में पश्चिमी यूरोप तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भी देखा जा सकता है।
- मुगल सम्राट बाबर ने मानक तिमुरिड मुद्रा सिक्के (Timurid currencycoins) जारी किए, जिन्हें शाहरुखी के नाम से जाना जाता है। अकबर के द्वारा अल्फ (Alf) सिक्के ढाले गए थे। जहांगीर ने विभिन्न राशियों (zodiac signs) के चित्रों के साथ अपनी तस्वीरें वाले सिक्के जारी किए।

आधुनिक भारत में सिक्का निर्माण प्रणाली

- 18वीं शताब्दी के मध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हाली सिक्का, अंकुशी और चंदोरी रुपया जारी किए गए थे। अवध प्रांत में गोलाकार सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जिन्हें अशर्फी के नाम से जाना जाता है। अवध प्रांत में तांबे के फुलुस नामक सिक्के का उपयोग किया जाता है, जिस पर नवाब-वजारत अंकित होता है। 1835 में भारत में एक समान सिक्कों (Uniform coinage) का चलन अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इनके द्वारा निर्मित सिक्कों का मानक मूल्य, वजन, आकार और रूपांकन आदि निश्चित होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश राजा विलियम III की छवि के अंकन वाले सिक्के जारी किया गया था।
- 1955 के भारतीय सिक्का निर्माण (संशोधन) अधिनियम [1955 Indian Coinage (Amendment) Act] के द्वारा दशमलव श्रृंखला (Decimal series) के सिक्कों की शुरूआत की गई थी। इसके तहत रुपये को 100 पैसे में विभाजित कर दिया गया। कालांतर में भारत सरकार के आवश्यकताओं के आना, नया पैसा (Naya paisa) और पैसा (paisa) आदि का निर्माण किया गया था।

भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत

भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक विरासत का इतिहास 5,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्राचीन भारतीयों ने दिल्ली लौह स्तंभ का निर्माण किया था, जिस पर 500 से अधिक वर्षों से जंग नहीं लगी है। ऐतिहासिक काल से ही भारतीय मनीषियों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन, कृषि सहित विविध क्षेत्रों में उन्नत शोध कार्य किए हैं।

प्रमुख वैज्ञानिक विरासत

✓ **गणित**

- **शून्य की अवधारणा:** भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा दिया था। उनके प्रयासों के माध्यम से जोड़ और घटाव जैसे गणितीय कार्यों में शून्य का उपयोग शुरू हुआ।
- **दशमलव प्रणाली (Decimal System):** भारत ने सभी संख्याओं को दस प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की सरल विधि दी, जिसे दशमलव प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली ने व्यावहारिक आविष्कारों में अंकगणित के उपयोग को बहुत तेज और आसान बना दिया।
- **द्विआधारी संख्या (Binary Numbers):** द्विआधारी संख्या प्रणाली का वर्णन सबसे पहले वैदिक विद्वान पिंगल ने अपनी पुस्तक छंदशास्त्र में किया था। बाइनरी मूल रूप से 1 और 0 संख्याओं के सेट को संदर्भित करता है, जिनके संयोजन को बिट्स और बाइट्स कहा जाता है।

✓ **रसायन तथा धातु विज्ञान**

- **परमाणु का एक सिद्धांत (Theory of Atom):** प्राचीन भारत के उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में से एक कणाद थे। उन्होंने परमाणु के समान अणु या छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि अणु की दो अवस्थाएं हो सकती हैं - पूर्ण विश्राम और गति की अवस्था।

राज्यनामा

ओडिशा

मो जंगल जामी योजना

3 जुलाई, 2023 को ओडिशा सरकार ने मो जंगल जामी योजना (Mo Jungle Jami Yojana - MJJY) प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके माध्यम से राज्य के 30 जिलों के 0.74 मिलियन से अधिक आदिवासी परिवारों और 32,000 गांवों को लाभ मिलेगा।

- राज्य में 62 प्रकार की विभिन्न जनजातियां पाई जाती है, जिनमें से 13 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs) के रूप में मान्यता प्राप्त है। राज्य में जनजातीय आबादी लगभग 95,90,756 है, जो कुल जनसंख्या का 22.85 प्रतिशत है।

योजना के मुख्य प्रावधान

यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली योजना है, जो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से उत्पन्न अंतराल को पाटने का कार्य करती है।

- इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बावजूद, ओडिशा में सामुदायिक अधिकार (Community Rights - CR) और सामुदायिक वन संसाधन (Community Forest Resources - CFR) अधिकारों को मान्यता कम ही प्रदान की गई है।
- योजना की कुल लागत 38.76 करोड़ रुपये है, जिसमें जनजातीय अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर में एक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU) की स्थापना, जागरूकता अभियान, विभिन्न अधिकारियों, संबंधित सरकारी विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों और ग्राम सभा सदस्यों का प्रशिक्षण आदि शामिल है।
- योजना के कार्यान्वयन से लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार भूमि का स्वामित्व और वन संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाएगी, ताकि वे सरकार की मुख्यधारा के विकास कार्यक्रमों से जुड़ सकें।
- इसके माध्यम से राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 को उचित तरीके से लागू कर, अनुसूचित जनजाति और वनवासियों के वन संसाधन संबंधी अधिकारों का संवर्धन करने का प्रावधान करती है।

मिशन शक्ति स्कूटर योजना

हाल ही में, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना (Mission Shakti Scooter Yojana) को मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1,00,000 रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करना है।

- राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में मिशन शक्ति स्कूटर योजना के कार्यान्वयन के लिए 528.55 करोड़ रुपये आवंटित करने का बजटीय प्रावधान किया है।
- यह पहल 'मिशन शक्ति संघ के नेताओं' (Federation Leaders) और सामुदायिक सहायक कर्मचारियों (Community Support Staff - CSS) के लिए दोपहिया वाहनों की खरीद को आसान बनाएगी। इस प्रकार वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता से पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी और समुदाय के भीतर उनकी पहुंच का विस्तार होगा।
- इस योजना से स्वयं सहायता समूहों के लगभग 75,000 सामुदायिक सहायता कर्मचारियों और एसएचजी से जुड़े लगभग 1,25,000 संघ के नेताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की गतिशीलता को बढ़ाया जा सकता है। यह योजना पूरे राज्य में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण में सहायक होगी।

अरुणाचल प्रदेश

चचिन चराई महोत्सव

14-15 जुलाई, 2023 के दौरान अरुणाचल प्रदेश के चचिन (Chachin) में चराई उत्सव (Chachin Grazing Festival) मनाया गया। चचिन, तवांग क्षेत्र में बुमला दर्रे के पास स्थित क्षेत्र है, जहां रहने वाले स्थानीय चरवाहों द्वारा इस पारंपरिक उत्सव को दो दिनों तक मनाया जाता है।

- इस वर्ष के कार्यक्रम में लगभग 100 चरवाहों और उनके याकों के झुंड ने भाग लिया। इस उत्सव में स्थानीय चरवाहों एवं पशुओं की सहायता के लिए चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया था।
- चचिन चराई उत्सव का आयोजन स्थानीय समुदाय के लिए चराई मैदानों (Grazing Grounds) के महत्व (Significance) पर प्रकाश डालता है।
- पारंपरिक रूप से बुमला दर्रे के पास रहने वाले लोगों के लिए मोनपा जीवन शैली (Monpa Lifestyle) का पालन किया जाता है। इस जीवन शैली के अंतर्गत खानाबदोश पशुचारण (Nomadic herding) पर बहुत अधिक निर्भरता होती है।